न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

विविध - 6105/2018/भिण्ड/भू.रा.

प्रकरण क्रमांक: ।२०१८- विविध (मूल सुधार)

श्री ...... द्वारा आज दि. 15-10-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 27-10-18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

सुरेश नारायण पुत्र रामभरोसे,
निवासी- खिड़किया मौहल्ला, भिण्ड, तहसील-
व जिला- भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

----- प्रार्थी

विरुध्द

१- मध्यप्रदेश शासन
२- जितेन्द्र सिंह। पुत्रगण हवलदार सिंह
३- योगेन्द्रसिंह ।
निवासीगण- चतुर्वेदी-नगर, भिण्ड-तहसील
व जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

---- प्रतिप्रार्थीगण

लिपकीय एंव टंकण त्रुटि सुधार हेतु आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा १५२-सी०पी०सी० सहपठित धारा ३२-मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, ।प्र०क्र० २१४८-एक।१६ अपील आदेश दिनांक ७-६-१७ ।

श्रीमान् जी,

लिपकीय मूल सुधार हेतु आवेदन-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, उपरोक्त प्रकरण में निवेदन है कि अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्र०क्र० ७२।१५-१६, अपील में पारित आदेश दिनांक ८-६-१६ के विरुध्द प्रार्थी के व्दारा प्रस्तुत अपील प्र०क्र० २१४८-एक।१६- अपील के रूप में माननीय न्यायालय में पंजीबध्द होकर आदेश दिनांक ७-६-१७ व्दारा प्रकरण का निराकरण किया गया है ।

२- यह कि, उपरोक्त अपील प्रकरण में पारित अंतिम आदेश दिनांक ७-६-१७ में अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के स्थान

क्रमश:---२

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–विविध 6105/2018/भिण्ड/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा कों आदि के हस्ताक्षर
25.10.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का निवेदन किया। उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रकरण में भूल सुधार होने के कारण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 एवं सी0 पी0 सी0 की धारा 152 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि प्रकरण कमांक अपील 2148–एक/2016 में पारित आदेश दिनांक 7.6.17 के प्रष्ठ कमांक 1 एवं 4 में अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के स्थान पर अपर आयुक्त ग्वालियर टंकण भूलवश हो गया है जिसे सुधार करने का अनुरोध किया गया है। 2–आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है कि प्रष्ठ कमांक 1 एवं 4 में अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के स्थान पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	